

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव

सेवा में,

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/रॉची/हजारीबाग
जल संसाधन विभाग संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता/संबंधित निकासी
एवं एवं व्ययन पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग झारखण्ड रॉची।

रॉची, दिनांक 19/3/19

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 के मांग संख्या- 49 जल संसाधन विभाग, मुख्य शीर्ष-2701- मध्यम सिंचाई उप मुख्य शीर्ष-03-मध्यम सिंचाई-वाणिज्यिक, लघु शीर्ष-001 निदेशन तथा प्रशासन, उप शीर्ष-06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना मद के अंतर्गत व्यय हेतु निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बजट मुख्य शीर्ष 2701- मध्यम सिंचाई के अंतर्गत परिशिष्ट-I में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्रमांक	मांग संख्या/मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	आवंटित राशि (लाख ₹ में)
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या 49 जल संसाधन विभाग/ 2701-मध्यम सिंचाई	03 मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक	001-निदेशन तथा प्रशासन / 06-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना	25.595

कुल आवंटित राशि -

रुपये पच्चीस लाख उन्सठ हजार पाँच सौ मात्र

- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹ 7054.76 लाख (सतर करोड़ चौवन लाख छिह्न्तर हजार मात्र) के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003 1362 दि. 09.05.2016 2747(वि०) दि० 19.09.2016 के आलोक में होगा।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
- आवंटित राशि से दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का बकाया वेतनादि के अनुमान्य राशि का भुगतान उक्त इकाई में आवंटित राशि से ही किया जायेगा।
- जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष का विस्तृत उल्लेख के साथ मुहर तैयार कर व्यवहार करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी तरह की भूल न हो सके।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधि०)

(रमेश कुमार दुबे)
विशेष सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्यय पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जबाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
8. सेवानिवृत्त कर्मियों को अनुमान्य एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान और पैकिंग भत्ता, वित्त विभाग का पत्रांक-170 दिनांक-01.04.2014 से प्राप्त निदेश के अनुरूप की जायगी।
9. वित्त विभाग के पत्रांक-29/बी०टी०ई०-18/2014-15/300 दिनांक-30.03.2015 के आलोक में 15.11.2000 के बाद के बकाया वेतन एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान वेतन मद में उपबंधित राशि से किया जायेगा।
10. मकान किराया भत्ता मद में आवंटित राशि का भुगतान नियमानुसार सक्षम स्तर से किराया निर्धारण तथा अन्य संबंधित आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता के उपरांत ही अनुमान्य राशि तक सीमित कर किया जाएगा।
11. यदि आवंटित राशि अपर्याप्त महसूस हो तो राशि के व्यय का पूर्ण औचित्य तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ राशि की मांग करेंगे। ध्यान रहे कि जिस कार्यालय से व्यय का पूर्ण औचित्य प्राप्त नहीं होगा अतिरिक्त राशि का आवंटन नहीं दिया जायेगा। अतिरिक्त आवंटन की अधियाचना के विरुद्ध आवंटन तभी निर्गत किया जायेगा जब पूर्व निर्गत आवंटन के विरुद्ध शत-प्रतिशत व्यय सुनिश्चित कर लिया जायेगा।
12. यदि किसी इकाई में आवंटित राशि (वेतन छोड़ कर) का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का तुरंत प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण **Online** किया जाय साथ ही पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन इकाईवार हार्ड कापी में **Access No** एवं **Revoke No** का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
13. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
14. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
15. देशीय यात्रा व्यय मद में उपलब्ध कराये गये आवंटन से लंबित स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान प्रथमतः सेवानिवृत्त कर्मियों को सेवानिवृत्ति की तिथि को आधार मानते हुए कालानुक्रमिकानुसार किया जाय। तत्पश्चात् अन्य स्थानान्तरण यात्राभत्ता का भुगतान कालानुक्रमिकानुसार (**chronological order**) किया जाय।
16. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च 2019 से पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जलसंसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनु. :- यथोक्त

ज्ञापांक :- १८

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड पो. - हिनू, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरंडा/मेदिनीनगर/हजारीबाग/देवघर/ पलामु सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु. :- यथोक्त

रॉची, दिनांक :- १९.३.१९


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :- १८

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/अंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/ अभियंता प्रमुख I एवं II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.), रॉची/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग को पांच प्रति/कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, प्रमंडल-3, को Online Sanction निर्गत करने हेतु/प्रशाखा-7 को पांच अतिरिक्त प्रतियों में/अपर मुख्य सचिव के आप सचिव, जल संसाधन विभाग/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग/सांख्यिकी पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु. :- यथोक्त


(रमेश कुमार दुबे)

उप सचिव (अभि.)


(रमेश कुमार दुबे)

विशेष सचिव


(अरुण कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

क्र० सं	वित्तीय वर्ष 2018-2019	विस्तृत शीर्ष-01-बेतन एवं भर्ते	विस्तृत शीर्ष-02-	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक यथा	विस्तृत शीर्ष-04-मोटरसाइक्या नियम	विस्तृत शीर्ष-05-भूल योग	विस्तृत शीर्ष-06-भूल योग में अनियुक्त	
कार्यालय का नाम	विभाग कोड	वेतन	15.12.2000 के दूसरे का	एवं दूसरी वार्षीय यथा	कार्यालय	किरणादर्दे, कर्मचारी एवं समग्री	दूसराष वर्दी विस्तृत यथा	
१	२	३	४	५	६	७	८	९
मुख्य अधिकार्ता	प्रूर्व का आवंटन	135.100	0.000	0.000	1.400	1.000	0.000	1.000
मैट्रीनार	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.040	0.040	0.000	0.000
मुख्य अधिकार्ता	प्रूर्व का आवंटन	50.000	0.000	0.000	1.100	1.200	0.000	0.500
जलसंधान विभाग,	हजारीबाग	0.000	0.000	0.000	0.220	0.030	0.000	0.000
जलसंधान विभाग,	कुल आवंटन	50.000	0.000	0.000	1.320	1.230	0.000	0.500
गुण नियन्त्रण प्रमङ्गल,	प्रूर्व का आवंटन	68.000	0.000	0.000	0.700	0.600	0.000	0.250
जलसंधान विभाग,	अतिरिक्त आवंटन	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
जलसंधान विभाग,	अतिरिक्त आवंटन	68.000	0.000	0.000	0.700	0.600	0.000	0.250
जलसंधान विभाग,	प्रूर्व का आवंटन	480.000	0.000	0.000	0.700	0.650	0.000	0.350
जलसंधान विभाग,	अतिरिक्त आवंटन	25.000	0.000	0.000	0.030	0.030	0.000	0.000
जलसंधान विभाग,	अतिरिक्त आवंटन	505.000	0.000	0.000	0.700	0.680	0.000	0.350
प्रूर्व का आवंटन	प्रूर्व का आवंटन	135.000	0.100	0.000	0.300	0.500	0.000	0.250
मैट्रीनार	अतिरिक्त आवंटन	135.000	0.100	0.000	0.300	0.500	0.000	0.250
अतिरिक्त आवंटन का योग		25.000	0.000	0.000	0.220	0.100	0.000	0.025
नोट: वित्त विभाग के प्रत्येक 11/विविध-14/2010-39/बजट दिन 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए न्यौ सिरे से विप्रकीरण के आधार पर ही								
नोट: वित्त विभाग के प्रत्येक 11/विविध-14/2010-39/बजट दिन 04.02.13 के आलोक में विद्युत मद में दिनांक 31.03.2013 तक का बकाया शून्य मानते हुए न्यौ सिरे से विप्रकीरण के आधार पर ही								
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागामुर एवं संचाल परिवार सिंचाई परियोजना								
लघु शीर्ष-001-निदेशन तथा प्रशासन/उप शीर्ष-06-छोटानागामुर एवं संचाल परिवार सिंचाई परियोजना								

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

कुल अतिरिक्त आवंटित राशि-

रुपये पच्चीस लाख उन्नास हजार पाँच सौ मात्र

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अधिकारी)(रमेश कुमार देव)
विशेष सचिव(अपर मुख्य सचिव)
अपर मुख्य सचिव

19.3.19